राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)
निफ्ट भोपाल- राजभाषा अनुभाग
National Institute of Fashion Technology
(Ministry of Textiles, Govt. of India)
NIFT Bhopal- Official Language Section

13136/निफ़्ट भोपाल/प्रशा°/हिन्दी समिति/2009/भाग-2 दिनांक: 28/12/2023

हिन्दी कार्यशाला का कार्यवृत

राष्ट्रीय फ़ैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) भोपाल के राजभाषा अनुभाग द्वारा दिनांक 27/12/2023 को एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला "तिमाही रिपोर्ट और संबंधित राजभाषा नियम" विषय पर आयोजित की गई और इस विषय पर अतिथि वक्ता श्रीमती महिमा सोनी, वरिष्ठ अधीक्षक (राजभाषा), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भोपाल ने व्याख्यान दिया।

उक्त कार्यशाला का विवरण निम्नलिखित है:

1. कार्यशाला की शुरुआत कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा अतिथि वक्ता एवं कार्यशाला में उपस्थित सभी सदस्यों के स्वागत के साथ हुई।
2. अतिथि वक्ता ने प्रशिक्षण की शुरुआत तिमाही रिपोर्ट के प्रारूप के वर्णन के साथ की और कार्यशाला में उपस्थित सदस्यों से तिमाही रिपोर्ट व राजभाषा संबंधित प्रश्न पूछे गए और सदस्यों की तिमाही रिपोर्ट व राजभाषा संबंधित शंकाओं को दूर किया गया।
3. अतिथि वक्ता ने पावरपोईंट प्रस्तुति के माध्यम से कार्यशाला के विषय पर विस्तृत वर्णन देते हुए कार्यशाला को आगे बढ़ाया। पावरपोईंट प्रस्तुति की कुछ तस्वीरें प्रस्तुत हैं :

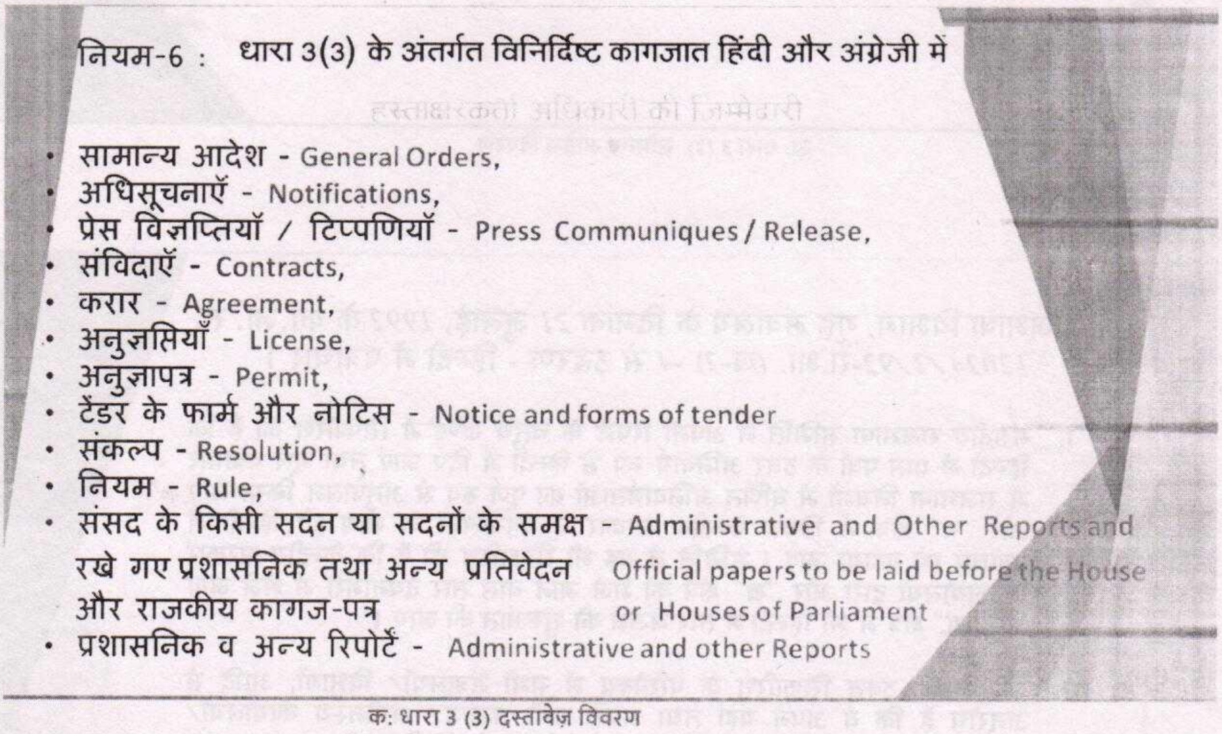

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अनुसार सामान्य आदेश में निम्नलिखित सम्मिलित है-

(1) ऐसे सभी आदेश, निर्णय या अनुदेश जो विभागीय प्रयोग के लिए हों और जो स्थायी प्रकार के हों;

(2) ऐसे सभी आदेश, अनुदेश, पत्र, ज्ञापन, नोटिस आदि जो सरकारी कर्मचारियों के समूह अथवा समूहों के संबंध में हों या उनके लिए हों;

(3) ऐसे सभी परिपत्र जो विभागीय प्रयोग के लिए हों या सरकारी कर्मचारियों के लिए हों।

ख: धारा 3 (3) सामान्य आदेश विवरण

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *21* जुलाई, *1992* के का.ज्ञा. सं. *12024/2/92*-रा.भा. *(ख-2) -4* से उद्धरण - हिन्दी में पत्राचार ।

1. संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के चतुर्थ खण्ड में सिफारिश की है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिए जाएं तथा मूल पत्राचार में राजभाषा नियमों में वर्णित अनिवार्यताओं का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाए और "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ भी हिन्दी में पत्राचार को बढाया जाए । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा और "ख" क्षेत्र को भेजे जाने वाले तार देवनागरी में भेजे जाएं और "ग" क्षेत्र में भी हिन्दी में तार भेजने की शुरूआत की जाए ।

2. समिति की उक्त सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/ विभागों, आदि से अनुरोध है कि वे अपने यहां तथा अपने सभी सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों/ उपक्रमों/ निगमों आदि में हिन्दी पत्राचार को बढाने के लिए ठोस कदम उठाएं ताकि वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके ।

ग: हिन्दी पत्राचार राजभाषा नियम

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र से				
'ख' क्षेत्र से				

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 26 फरवरी, 1988 के का. ज्ञा. सं0 14034/15/87-रा.भा. (क.1) से उद्धरण - अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना ।

1. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3 के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार के "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/कम्पनियों आदि द्वारा "क" क्षेत्र में स्थित राज्यों या संघ क्षेत्रों या उनके अधीन कार्यालयों के साथ पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाना आवश्यक है।

2. राजभाषा नियम, 1976 में की गई उपर्युक्त व्यवस्था का अनुपालन सही ढंग से तभी हो सकता है जबकि क्षेत्र की राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से मूल पत्राचार हिन्दी में किया जाए और उनसे कोई पत्र अंग्रेजी में भी आए तो उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाए ।

घ: अँग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाने संबंधित राजभाषा नियम

नियम - 2 में दी गयी परिभाषा के अनुसार

क क्षेत्र / REGION A

दिल्ली | उत्तर प्रदेश | उत्तरांचल
मध्य प्रदेश | छत्तीसगढ़ | बिहार
झारखंड | हरियाणा | राजस्थान
हिमाचल प्रदेश | अंडमान व निकोबार

ख क्षेत्र / REGION B

महाराष्ट्र गुजरात पंजाब चंडीगढ संघ राज्य

दमन और दीव संघ राज्य

दादरा और नागर हवेली संघ राज्य

ग क्षेत्र / REGION C

'क' और 'ख' क्षेत्र में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र

ङ: भारत के राज्यों/संघ राज्यों का क्षेत्रवार वर्गीकरण

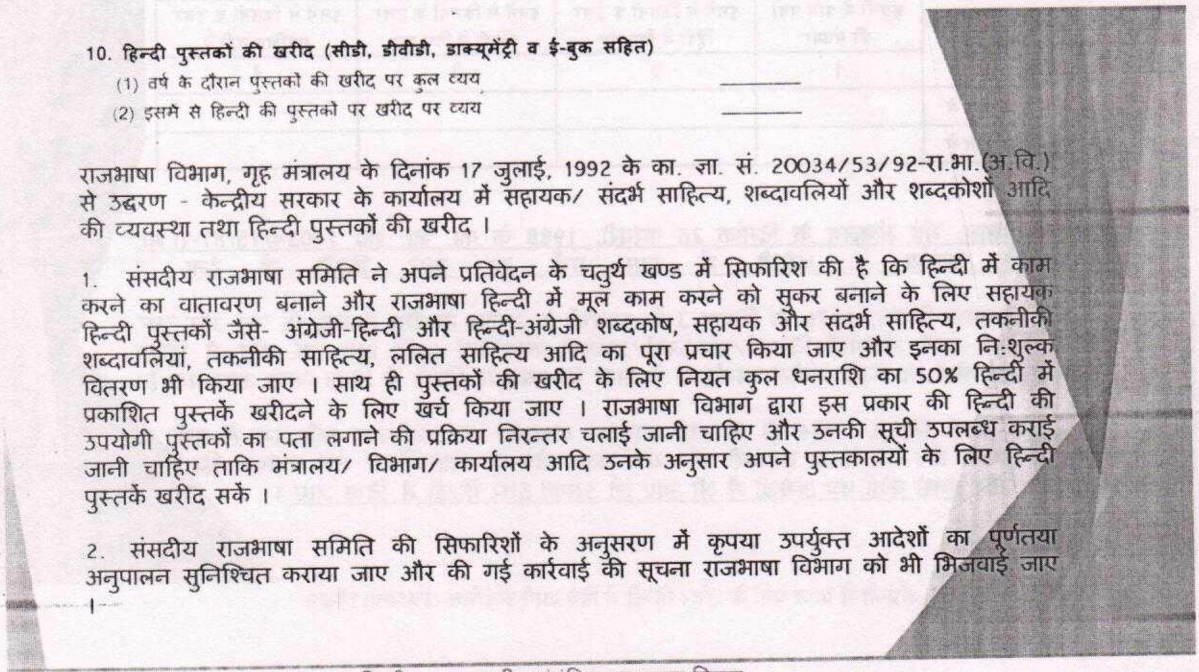

10. हिन्दी पुस्तकों की खरीद (सीडी, डीवीडी, डाक्यूमेंट्री व ई-बुक सहित)

(1) वर्ष के दौरान पुस्तकों की खरीद पर कुल व्यय ________

(2) इसमें से हिन्दी की पुस्तकों पर खरीद पर व्यय ________

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 17 जुलाई, 1992 के का. ज्ञा. सं. 20034/53/92-रा.भा.(अ.वि.) से उद्धरण - केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में सहायक/ संदर्भ साहित्य, शब्दावलियों और शब्दकोशों आदि की व्यवस्था तथा हिन्दी पुस्तकों की खरीद ।

1. संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के चतुर्थ खण्ड में सिफारिश की है कि हिन्दी में काम करने का वातावरण बनाने और राजभाषा हिन्दी में मूल काम करने को सुकर बनाने के लिए सहायक हिन्दी पुस्तकों जैसे- अंग्रेजी-हिन्दी और हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोष, सहायक और संदर्भ साहित्य, तकनीकी शब्दावलियां, तकनीकी साहित्य, ललित साहित्य आदि का पूरा प्रचार किया जाए और इनका निःशुल्क वितरण भी किया जाए । साथ ही पुस्तकों की खरीद के लिए नियत कुल धनराशि का 50% हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकें खरीदने के लिए खर्च किया जाए । राजभाषा विभाग द्वारा इस प्रकार की हिन्दी की उपयोगी पुस्तकों का पता लगाने की प्रक्रिया निरन्तर चलाई जानी चाहिए और उनकी सूची उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय आदि उनके अनुसार अपने पुस्तकालयों के लिए हिन्दी पुस्तकें खरीद सकें ।

2. संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में कृपया उपर्युक्त आदेशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए और की गई कार्रवाई की सूचना राजभाषा विभाग को भी भिजवाई जाए ।

च: हिन्दी पुस्तक खरीद संबंधित राजभाषा नियम

4. कार्यशाला के दौरान महोदया ने कार्यसाधक/प्रवीण, अधिसूचना, व्यक्तिशः आदेश, कार्यालय प्रमुख के उत्तरदायित्व आदि विषयों पर जानकारी प्रदान की ।
5. यह कार्यशाला निदेशक महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन और अतिथि वक्ता को धन्यवाद स्वरूप तुलसी का पौधा देने के साथ सम्पन्न हुई।

यह कार्यशाला कार्यालय में राजभाषा संबंधित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के प्रयासरत आयोजित की गई। यह कार्यशाला ले. कर्नल आशीष अग्रवाल, निदेशक निफ्ट भोपाल और निफ्ट भोपाल के अधिकारी व कर्मचारीगण की उपस्थिति में सम्पन्न हुई।

समता

(समता)

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

कार्यशाला की तस्वीरें संलग्न प्रस्तुत हैं :

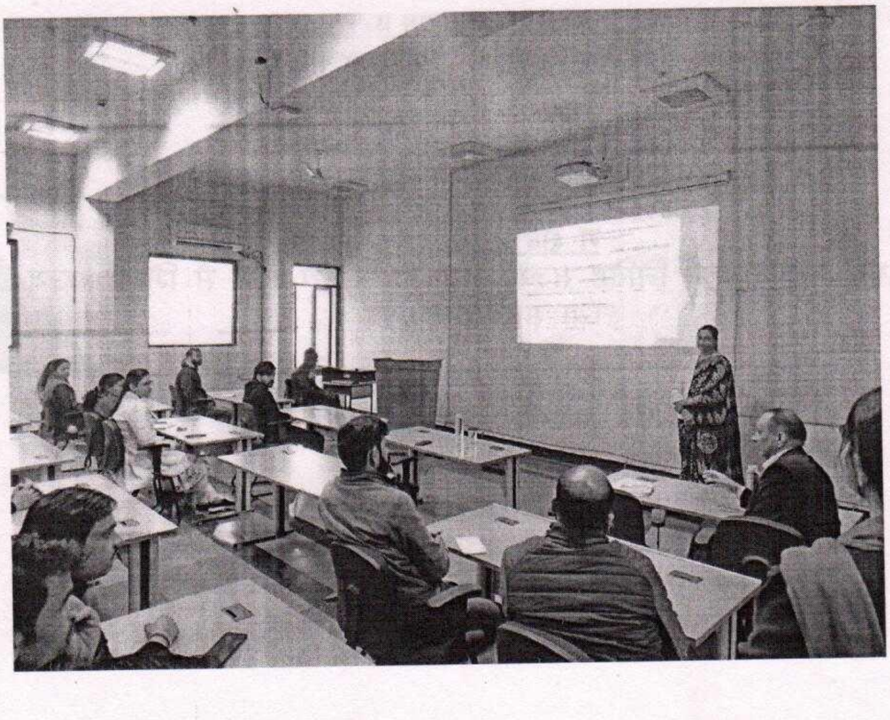

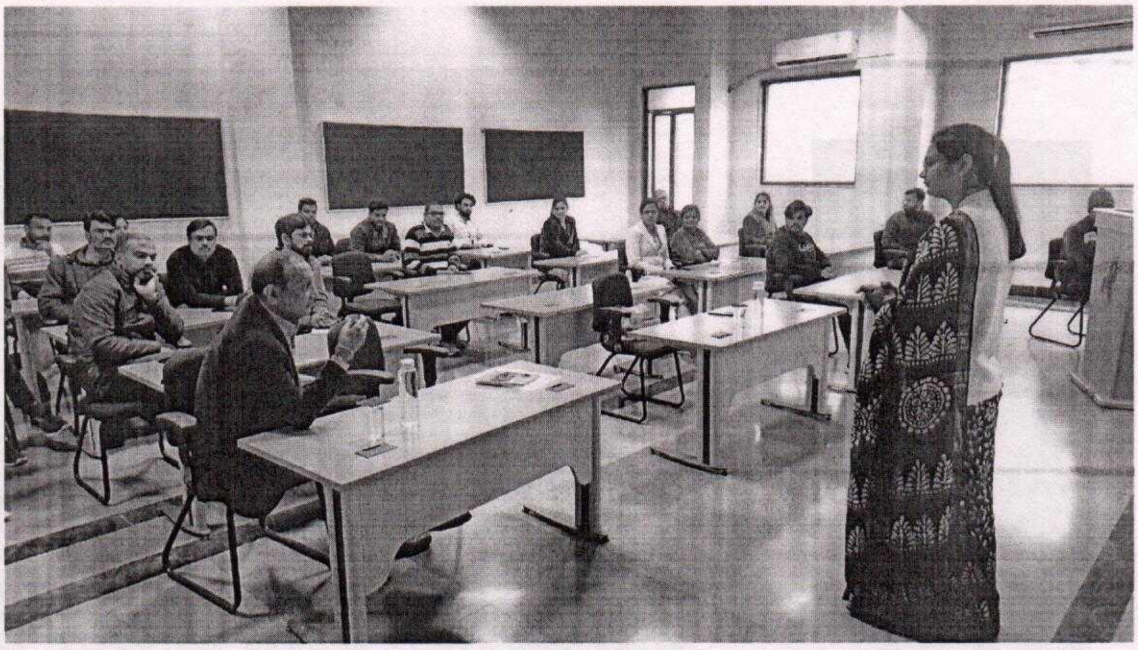

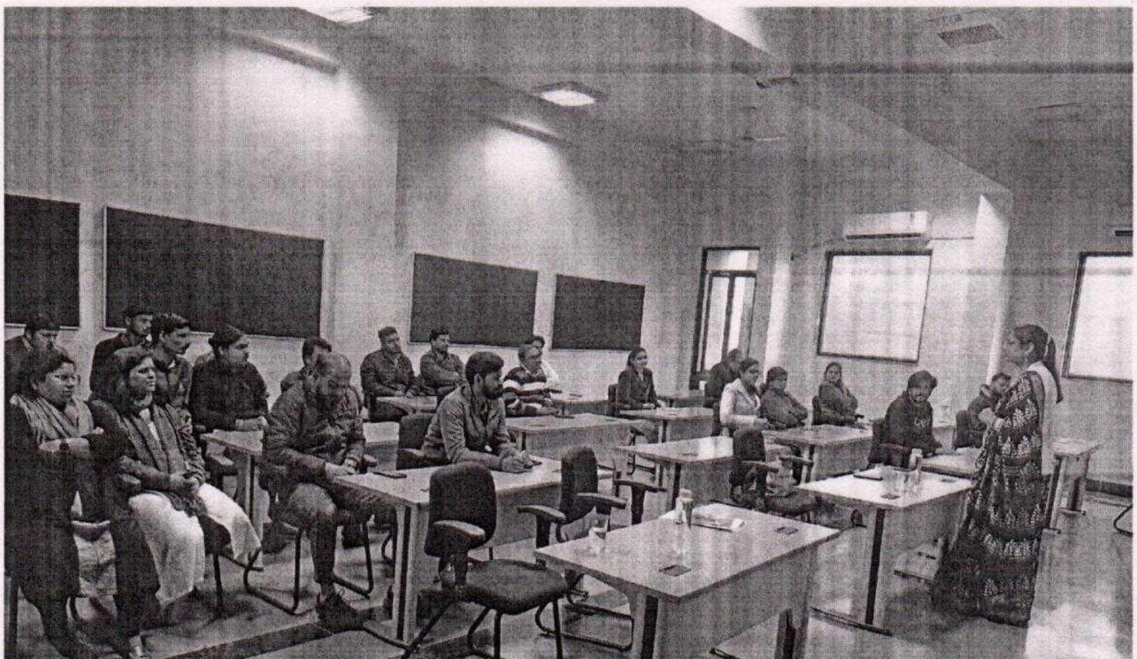

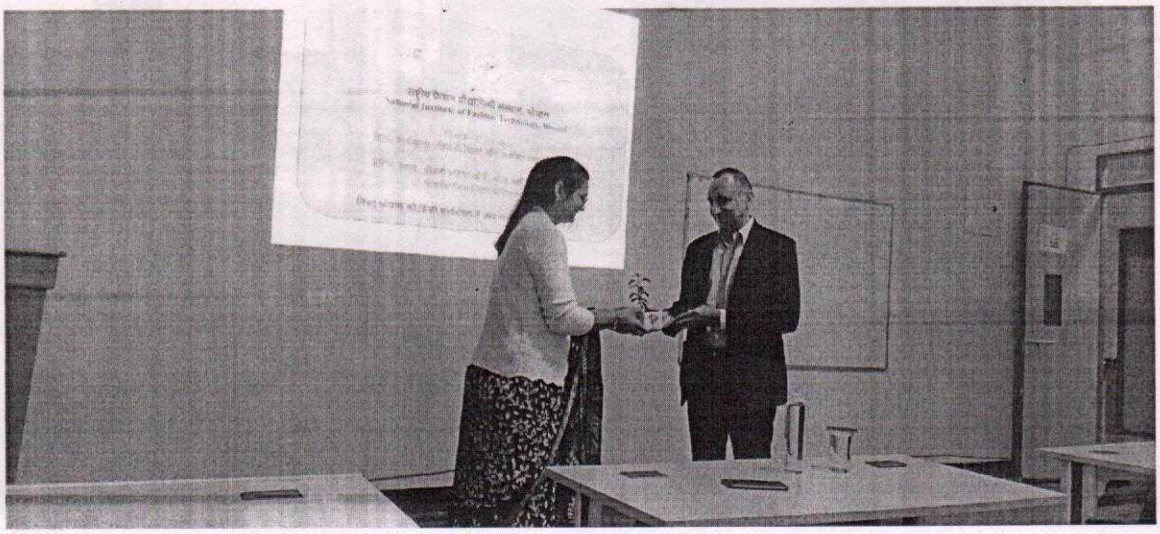

****